



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 38339

19

पूर्ण रूप से पाबन्द रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई ड्यूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया माना जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त ड्यूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेगा। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया

प्रमाणित है



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 383391

18

भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान  
का दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं  
भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त  
भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई  
आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखा में चर्तोर  
स्वासी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम  
पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की  
आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार

प्रत्यक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

538585

17

विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कल्ला विक्रित

  


  




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795440

16

सिद्धि मस्तिष्क एवं स्वस्थ हृदयों की दृष्टि में अंकन  
48,04,480/- त्रियासीस लाख चार हजार चार सौ अस्सी  
रुपये विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्त में 0 असल हाऊसिंग  
एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश,  
21-बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री  
रामेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी गली नम्बर 2,  
राज नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया  
और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार प्रथम पक्ष

पिप्पलेश

रामेन्द्र शर्मा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795411

15

मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान  
सहाय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय  
करना चाहते हैं, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित  
समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं  
भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे  
सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित,  
बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन  
इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो,

मिपलेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

795412

14

न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि  
नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत  
किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध  
में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं  
हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व  
अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का  
मूल्य अंकन 46,04,480/- (छियालीस लाख चार हजार चार  
सौ अस्सी रुपये) तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी

*[Signature]*

*[Signature]*